NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

उपाध्यक्ष का पद: एक संवैधानिक अनिवार्यता

www.nextias.com

उपाध्यक्ष का पद: एक संवैधानिक अनिवार्यता

संदर्भ

- लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, जो एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, 2019 में 17वीं लोकसभा के गठन के बाद से रिक्त पड़ा है। यह लम्बे समय से रिक्त पद संवैधानिक भावना का उल्लंघन करता है, संस्थागत संतुलन को बाधित करता है, तथा संसदीय लोकतंत्र के चरित्र को कमजोर करता है।

परिचय

- संविधान के अनुच्छेद 93 में यह अनिवार्य किया गया है कि "लोकसभा यथाशीघ्र दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।"
- हालाँकि, संविधान में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे अस्पष्टता और दुरुपयोग होता है।
- लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम भी उपाध्यक्ष के लिए किसी समय-सीमा वाले चुनाव को लागू नहीं करते हैं।
- इस प्रकार, जबकि नियुक्ति एक संवैधानिक आवश्यकता है, एक लागू करने योग्य समय-सीमा की अनुपस्थिति ने राजनीतिक विवेक को संसदीय शिष्टाचार पर हावी होने में सक्षम बनाया है।

ऐतिहासिक एवं पारंपरिक संदर्भ

- इस संस्था की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत हुई थी, जहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति कहा जाता था।
- स्वतंत्रता के बाद, जी.वी. मावलंकर और अनंतशयनम अयंगर क्रमशः लोकसभा के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे।
- द्विदलीयवाद को बढ़ावा देने के लिए विपक्ष के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद आवंटित करने की परंपरा रही है।

नियम और जिम्मेदारियाँ

- **उपाध्यक्ष :** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। संसदीय समितियों की अध्यक्षता कर सकता है।
  - बराबरी की स्थिति में (अध्यक्षता करते समय) निर्णायक मत का प्रयोग करता है। शिष्टाचार बनाए रखता है और प्रक्रिया के नियमों को बनाए रखता है।
  - अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, बल्कि सीधे सदन के प्रति जवाबदेह होता है।

रिक्ति से उत्पन्न मुद्दे

- **सत्ता का केंद्रीकरण:** विपक्ष के उपसभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्ष (सामान्यतः सत्तारूढ़ पार्टी से) अनियंत्रित अधिकार का प्रयोग करता है।
- **संवैधानिक नैतिकता का टूटना:** कानूनी रूप से स्वीकार्य होने के बावजूद, अनिश्चितकालीन देरी संवैधानिक परंपराओं और लोकतांत्रिक लोकाचार के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती है।
- **सर्वसम्मति की राजनीति को कमजोर करना:** पद को रिक्त रखने से विपक्ष को एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत आवाज़ से वंचित किया जाता है, जिससे विचार-विमर्श करने वाला लोकतंत्र प्रभावित होता है।
- **कार्यात्मक और प्रक्रियात्मक जोखिम:** अध्यक्ष के अचानक त्यागपत्र या अक्षमता के मामले में, उप-अध्यक्ष की कमी नेतृत्व शून्यता उत्पन्न कर सकती है।

- **वैश्विक तुलना:** UK, कनाडा और अन्य वेस्टमिंस्टर लोकतंत्रों में, निरंतरता और वैधता बनाए रखने के लिए ऐसे पदों को द्विदलीय परामर्श के साथ तुरंत भरा जाता है।

सुधार और आगे की राह

- **वैधानिक समयसीमा:** प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करना या एक निश्चित समय सीमा (जैसे, 60 दिन) के अन्दर उपसभापति का चुनाव अनिवार्य करने के लिए कानून पेश करें।
- **न्यायिक स्पष्टीकरण:** 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उपसभापति की नियुक्ति में विलंब पर एक याचिका स्वीकार की। एक निश्चित निर्णय संवैधानिक जवाबदेही को मजबूत कर सकता है।
- **संसदीय मानदंडों को मजबूत करना:** लोकतांत्रिक संतुलन की रक्षा के लिए विपक्ष को उपसभापति का पद देने जैसी परंपराओं को संहिताबद्ध करें।
- **राष्ट्रपति की निगरानी:** संवैधानिक अभिभावक के रूप में राष्ट्रपति को संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में देरी के बारे में सदन को याद दिलाने या सलाह देने का अधिकार दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

- उपाध्यक्ष की लंबी अनुपस्थिति सिर्फ़ प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि संवैधानिक पदों के राजनीतिकरण को दर्शाती एक प्रणालीगत अस्वस्थता है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में, संस्थागत भूमिकाओं को राजनीतिक सौदेबाज़ी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
- उपाध्यक्ष के पद को तुरंत और व्यवस्थित रूप से बहाल करना न केवल संसदीय निरंतरता के लिए, बल्कि संविधान की भावना, विपक्ष की गरिमा और भारत के विचारशील लोकतंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारतीय संसद में उपाध्यक्ष के पद के संवैधानिक महत्त्व पर चर्चा कीजिए। इस भूमिका को प्रतीकात्मक या वैकल्पिक के बदले आवश्यक क्यों माना जाता है, और इसकी रिक्तता संसदीय कार्यवाही के कामकाज और तटस्थता को कैसे प्रभावित करती है?

■■■■